फा.सं. 2–30/पी.बी.पी.एस./वाहन/2017–18/
पोर्ट ब्लेयर पंचायत समिति का कार्यालय
प्रातरापुर

प्रातरापुर, दिनांक जनवरी, *2018*

कोटेशन सूचना

प्रमुख का कार्यालय, पोर्ट ब्लेयर पंचायत समिति, प्रातरापुर के लिए वर्ष 2019–20 के दौरान मासिक आवश्यक के अनुसार निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों पर वाहन (टाटा सूमो/ट्रावेरा/स्कोर्पियो गैर–वातानुकूलित) को किराए पर लेने के लिए पंजीकृत टूर एवं ट्रावेल एजेंसियों/मालिकों/सहकारी समितियों से मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित करते हैं।

क्रमांक	विवरण	दर
1.	08 घंटा या 100 किलोमिटर (01 घंटे का मध्याह्न भोजन विराम को छोडकर)	
2.	08 घंटे के भीतर लेकिन100 किलोमीटर के बाद अतिरिक्त किलोमीटर	
3.	08 घंटे के पश्चात अतिरिक्त घंटा	

निबंधन एवं शर्तों :–

1. दर्शाए गए दर दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के लिए वैध होगा।
2. कोटेशन के साथ रू.5000/–(रूपए पाँच हजार मात्र) का प्रतिभूति जमा, बयाना जमा राशि/बैंकर्स चैक या समतुल्य के रूप में संलग्न होना चाहिए। ऐसा करने में असमर्थ रहने की स्थिति में कोटेशन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. सभी प्रकार के प्रभार जैसे ड्राइवर का वेतन/ईंधन की लागत/अनुरक्षण/मरम्मत इत्यादि को कोटेशनर के द्वारा वहन किया जाएगा और वाहन के खराब होने की स्थिति में कोटेशनर समान प्रकार के वाहन को तत्काल उपलब्ध करवाकर खराब वाहन को सेवा से हटाएगा।
4. पंचायत समिति के ड्यूटी पर रहते हुए या ड्यूटी के पश्चात किसी दुर्धटना के कारण ट्रावल एजेंसी/मालिक/सहकारी समिति के संपति या व्यक्ति को होने वाली क्षति के लिए पंचायत समिति को किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकेगा।
5. वाहन के मालिक/ट्रावल एजेंसी के पास वैध वाणिज्यिक परमिट होना चाहिए तथा कोटेशन के साथ वाणिज्यिक परमिट एवं ड्राइवर के पाब्लिक सर्विस लाइसेंस की अनुप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करनी होगी अन्यथा कोटेशन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
6. ट्रावल एजेंसी/मालिक/सहकारी समिति अपने टाटा सूमो/ट्रावेरा/स्कोर्पियो– गैर–वातानुकूलित वाहन को अच्छी और सुयोग्य अवस्था में इस पंचायत समिति को उपलब्ध करेगा।
7. ट्रावल एजेंसी/मालिक/सहकारी समिति का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह लॉग बुक/ड्यूटी स्लिप पर प्रमुख/सदस्य/कर्मचारी, जिसने वाहन (टाटा सूमो/ट्रावेरा/स्कोर्पियो–गैर–वातानुकूलित) का उपयोग किया है, से हस्ताक्षर करवाएगा और उसे हस्ताक्षरित लॉग बुक/ड्यूटी स्लिप को बिल के साथ संलग्न करना होगा और ऐसा नहीं करने की स्थिति में बिल को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
8. ऐसे किसी भी कोटेशन को स्वीकार नहीं किया जाएगा यदि उस कोटेशन में दर्शाया गया दर प्रशासन के दिनांक 19.08.2017 के पत्र संख्या. 46–4/परिवहन/2017–18(जी.ए.) द्वारा अनुमोदित दर से अधिक होता है।
9. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग से ''कैब ऑपरेटर'' वर्ग में प्राप्त सेवा कर रजिस्टर प्रमाणपत्र की प्रति तथा वर्ष 2017–18 में सेवा कर जमा किए जाने से संबंधित प्रमाण की प्रति (रिटर्न एवं चालान की प्रतियाँ) संलग्न करना होगा।
10. पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति (यदि कोटेशनदाता एक पार्टनरशीप फार्म है तो फार्मस् के पंजीयक से; यदि कोटेशनदाता एक सार्वजानिक या निजी लिमिटेड कंपनी है, तो कंपनियों के पंजीयक से; यदि कोटेशनर एक सोसाइटी है तो सहकारी समितियों के पंजीयक से); संलग्न करना होगा, और यदि कोटेशनदाता एक प्रोप्राइटरशीप प्रतिष्ठन है तो उसे कोई पंजीकरण प्रमाणपत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं ळें

11. कोटेशन के साथ जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा और ऐसा करने में असमर्थ रहने की स्थिति मे कोटेशन को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

12. ट्रावल एजेंसी/मालिक/सहकारी समिति दैनिक आधार पर बिल जमा करेंगे।

13. कोटेशन इस कार्यालय में दिनांक 15.02.2019 के अपराह्न 03:00 बजे तक या उसे पहले पहुँच जाना चाहिए तथा उन कोटेशनों को इस प्रयोजन के लिए गठित समिति के द्वारा उसी दिन अपराह्न 03:30 बजे उपस्थित कोटेशनदाताओं या उनके प्रतिनिधियों, यदि कोई हो, के समक्ष खोला जाएगा।

14. बिना कोई कारण बताए किसी या सभी कोटेशन को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी अपने पास सुरक्षित रखता है।

प्रमुख
पोर्ट ब्लेयर पंचायत समिति
प्रातरापुर

F.No. 2-30/PBPS/Vehicle/2017-18/

OFFICE OF THE PORT BLAIR PANCHAYAT SAMITI
PROTHRAPUR

*****

Prothrapur, dated the January, 2018.

QUOTATION NOTICE

Sealed quotations are invited from the Registered Tour & Travel Agencies/Owners/Co-Operative Societies for hiring of vehicle (Tata Sumo/Travera/Scorpio Non-AC) for the Office of the Pramukh, Port Blair Panchayat Samiti, Prothrapur from reputed agencies on monthly required basis for the year 2019-20 as per the terms & conditions given below:

Sl.No	Description	Rate
1.	8 hrs or 100 Kms(exclusive 01 hr Lunch Break)	
2.	Extra Km beyond 100 Kms within 8 hrs	
3.	Extra hour after 8 hrs	

Terms & Conditions :

1. The rates quoted should be valid for the period from 01.04.2019 to 31.03.2020 only.
2. Quotation to be accompanied with Security Deposit of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand only) in the form of EMD/Bankers cheque or equivalent. Failing which the quotation will not be accepted.
3. All charges like driver's salary/cost of fuel/maintenance/ repairs etc. shall be borne by the quotationer only and in case of a breakdown the quotationer shall replace the vehicle immediately by similar kind of vehicle.
4. Panchayat Samiti will not be held responsible in any form for any loss of property of the Travel agency/owner/Co-Operative Society his men in case of accident while on duty of Panchayat Samiti or/after duty hours.
5. The vehicle owner/travel agencies should have the valid commercial permit and attested copy of the commercial permit as well as Public Service Licence copy of Driver(s) to be enclosed along with the quotation otherwise it will not be entertained.
6. The travel agencies/owner/Co-Operative Society shall provide the Tata Sumo/Travera/Scorpio- Non-AC vehicle to this Panchayat Samiti in proper running and good condition. In case of breakdown of vehicle a substitute vehicle of similar category has to be provided by the travel agencies/owner/Co-Operative Society in place of breakdown vehicle.
7. It will be the responsibility of the Travel agencies/owner/Co-Operative Society to get the log book/duty slip signed by the Pramukh/Member/Official who has engaged the vehicle (Tata Sumo/Travera/Scorpio –Non-AC) and the said signed log book/duty slip to be enclosed with the bill failing which the bill will not be accepted.
8. No quotation will be accepted, if the rate quoted is higher than the Administration's | approved rate vide No. 46-4/Tpt/2017-18(/GA) dated 19.08.2017.
9. Copy of the Service Tax register Certificate under "Cab Operator" category from Central Excise department and also proof of having deposited the service tax for the year 2017-18 (Copies of Returns and Challans should be enclosed).
10. Copy of Registration Certificate (from the Registrar of Firms in case the quotationer is a partnership firm; from the Register of Companies in case the Quotationer is a public or private limited Co.; from the Registrar of Co-operative Societies in case the quotationer is a Society; no such Registration Certificate is required if the quotationer is a proprietorship concern.
11. Copy of the GST Registration certificate should be attached together with the quotation failing which the quotation will not be accepted.

12. The Travel agencies/owner/Co-operative society shall submit the bill on per day basis.
13. The quotation should reach to this office on or before 15.02.2019 at 3.00 PM positively and the same shall be opened on the same day at 3.30 PM in the presence of the quotationers or their representatives, if any present, by the committee constituted for the purpose.
14. The undersigned reserves the right to accept/rejects any or all quotations without assigning any reason thereof.

PRAMUKH
Port Blair Panchayat Samiti
Prothrapur

<u>Copy to:</u>

1. The Director RD, PRIs & UBLs, A & N Admn for favour of information please.
2. The Director of IP & T, Port Blair for publishing the quotation notice in the local news.
3. The AAO, Port Blair Panchayat Samiti, Prothrapur.
4. Notice Board.

PRAMUKH